न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 62/2012

1 लक्ष्मण पुत्र स्व. झाबरमल आयु करीब 74 साल जाति मेघवाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामस्वरूप आयु 65 साल पुत्र स्व झाबर राम
2 पूर्णराम आयु 82 साल पुत्र स्व. झाबर राम
3 रामेश्वर लाल आयु 72 साल पुत्र स्व झाबर राम
समस्त जाति मेघवाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4 कृपानंद पुत्र मनभर
5 मूलती देवी बेवा मनभर जाति मेघवाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
6 मु. शकुन्तला देवी पुत्री स्व. मनभर स्त्री शेरसिंह जाति मेघवाल निवासी भैंसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
7 मु. बिमला देवी बेवा स्व. जोखीराम जाति मेघवाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
8 सुरेन्द्र पुत्र स्व. जोखीराम
9 विकास पुत्र स्व. जोखीराम
10 कविता पुत्री स्व जोखीराम
समस्त जाति मेघवाल निवासीगण किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.
।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. धारा 223राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मु. उनवानी रामस्वरूप बनाम पूर्णराम आदि मु.नं. 349/2010 दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 349/2010 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के खिलाफ हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.86 हैक्टेयर सरहद मौजा किठाना के बाबत दावा खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। उक्त दावे में अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 2 ने एक दरख्वास्त आदेश 01 नियम 9 जा.दी. पेश कर रखी थी ओर दिनांक 10.05.2012 को उक्त दरख्वास्त का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी के जवाब में थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.05.2012 को अपीलान्ट की दरख्वास्त अपीलान्ट के वकील उपस्थित होने से पहले ही खारिज कर दी और दावे में उक्त दिनांक 10.05.2012 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.05.2012 को अपीलान्ट की दरख्वास्त आदेश 1 नियम 9 जा.दी. का मनमाने ढंग से अपीलान्ट के वकील की अनुपस्थिति में पारित कर दिया और अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 2 को न जिरह का अवसर दिया और न ही अपनी शहादत पेश करने का अवसर दिया। उससे पहले ही मनमाने ढंग से बिना प्रोसेस अडोप्ट किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ दिनांक 10.05.2012 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने अपने दावे में प्रारम्भिक डिक्री की कोई रिलिफ नहीं कर रखी थी। इस प्रकार कानून से बिना मांगा अनुतोष नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय ने कानून के बाहर जाकर बिना प्रक्रिया अपनाये निर्णय व डिक्री पारित की है जिसको अपास्त किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व जैर बहस पारित करने में राजस्व कोई मैनुअल के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। कानून से निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस फर्द अहकाम पर लिखाया है जिसमें पक्षकारान के नाम जाति वल्दियत दर्ज नहीं की। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 6 का दावे में न तो जवाब पेश हुआ और न ही जवाब बन्द किया गया उक्त जवाब बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया। दिनांक 21.11.2011 को आदेशिका प्रतिवादी नम्बर 3 के जवाब में थी उसके बाद उक्त प्रतिवादी का जवाब पेश नहीं किया गया और न ही जवाब बन्द किया गया। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पहले सभी प्रतिवादीगण का जवाब व वादी ओर प्रतिवादी की शहादत लेनी आवश्यक थी। ओर बगैर शहादत ही विचारण न्यायालय ने जैर बहस निर्णय व डिक्री गलत पारित की है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में अपीलांट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन से इन्कार किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की है। दौराने सुनवाई प्रकरण में आदेश 1 नियम 9 का आवेदन वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय के समय इस आवेदन पर वादी की बहस सुनकर इस आवेदन को खारिज करते हुए विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस आदेश में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के उपस्थिति नहीं होने का भी अंकन किया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना साक्ष्य लिये बिना तनकीवार विवेचन किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में तनकीवार विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर